# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

**शस्त्र वाद सं0- 31/2015**

**श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, पिता- श्री राम सिंह, सा0-सलेमपुर,पो0-डुमाइगर,थाना-माँझी,जिला-सारण**

| आदेश का क्रम-संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित |
|---|---|---|
| 13.08.2015 | यह वाद पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 472 गो0/, दिनांक 23.01.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के साथ आवेदक धर्मेन्द्र कुमार सिंह, पिता श्री राम सिंह, सा0-सलेमपुर, पो0-डुमाइगर, थाना-माँझी, जिला-सारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए संलग्न आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ। इस न्यायालय के ज्ञापांक 512, दिनांक 04.08.2015 के द्वारा आवेदक को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है।<br><br>आवेदक से हाजरी प्राप्त। आवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे मांझी प्रखंड के माँझी भाग-2 से जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित है। उनका धर सरयू नदी के तट पर हैं, जहाँ हमेशा आपराधिक धटनाएँ धटती रहती है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। साथ ही, उनके राजनीतिक विरोधियों से भी उन्हें बराबर जान माल का खतरा बना रहता है। अतः उनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।<br><br>आवेदक को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 472 गो0/, दिनांक 23.01.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष, मांझी के ज्ञापांक डी0आर0 4878, दिनांक 19.11.2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वर्तमान में ये जिला परिषद मांझी-2 से निर्वाचित सदस्य है। ये रात दिन अपने क्षेत्र में रहते है,जिससे इनके जान माल पर खतरे की आंशका बनी रहती है। ये एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति है। अतः इन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति दी जा सकती है।<br><br>थानाध्यक्ष,मांझी के द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक के साथ किसी प्रकार की धटना के धटित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही, पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा भी आवेदक के आवेदन एवं अन्य कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। | |

पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। इस तरह आवेदक के जान माल पर खतरे की आशंका की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही हैं।

अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र,दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक धर्मेन्द्र कुमार सिंह, पिता श्री राम सिंह, सा0-सलेमपुर, पो0-डुमाइगर, थाना- माँझी, जिला-सारण के जान माल पर खतरे की कोई स्पष्ट आशंका न पाकर आवेदक के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2013 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 143 /न्या0, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।
22/8/15